न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 157 / 2016

1. रामप्रसाद पुत्र श्री रामनारायण, जाति बारागांव (व्यास), निवासी फागी, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पुत्र श्री रामनारायण
2. विनोद पुत्र श्री रामनारायण
3. अमोलक पत्नी श्री रामनारायण

   समस्त जातियान बारागांव (व्यास), निवासी फागी, तह. फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी, तह. फागी, जिला जयपुर
5. उपपंजीयक फागी, तह. फागी, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.05.2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी भूमि खाता संख्या 497 के आराजी खसरा नम्बर 5983, 5984/1, 5984/2, 5985/1, 5985/2, 5998, 6411 कुल किता 7 कुल रकबा 36 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम, पटवार हल्का फागी पश्चित भू.अभि.नि.क्षेत्र फागी, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने–अपने हिस्से की भूमि का बाहमी बंटवारा चुनडीबट करके मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 आपस में सहकाश्तकार होकर उक्त आराजी पर अपने–अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को काफी पैसा व मेहनत कर उपजाऊ व उन्नत बना लिया है, जिससे अप्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। विवादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में विधिवत तकासमा एवं तरमीम नही होने से पक्षकारान् के मध्य काश्त के समय आये दिन मेरकोर एवं सीमाओं को लेकर लडाई–झगडा होता रहता है, इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी को मौके एवं हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में बाई मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार पर खाते अलहदा–अलहदा एवं तरमीम करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त कर सके तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सके। प्रार्थी ने अनकों बार अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 को बाहमी बंटवारे अनुसार आराजी का तकासमा तरमीम कराने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 ने प्रार्थी को सदैव यह आश्वासन देकर टालते रहे कि आराजी का बाहमी बंटवारा कर तुम अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है जब भी समय मिलेगा तकासमा तरमीम भी करवा लेंगे अब तक प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 के इसी आश्वासन पर विश्वास कर अपने हिस्से पर काबिज काश्त करता चला

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

आ रहा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 ने आज दिन तक आराजी का तकासमा तरमीम नही करवाया। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत एवं उपजाऊ बना ली है, लेकिन जमीनों की कीमते बढ़ जाने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की की कब्जेशुदा आराजी को अपनी बताकर दीगर व्यक्तियों को बिना विभाजन करवाये बेचान करने की फिराक में है। अभी हाल ही में दिनांक 26.02.2015 को आराजी में बोई हुई चने की फसल की देखरेख कर रहा था कि अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आराजी पर आये तथा प्रार्थी के कब्जे की भूमि की ओर इशारा करते हुये बेचान की बातचीत करने लगे जब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 से अजनबी व्यक्तियों के आराजी को देखने बाबत् पूछने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 बेहद नाराज हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकीया दी कि आराजी को हम बिना तकासमा कराये साथ आये इन लोगो को बेचान करेंगे यह तुम्हे तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर देंगे, इसलिये प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण का पेश करना लाजमी आया है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 आराजी को बिना तकासमा करवाये बेचान करने के अपने उपरोक्त नापाक मनसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा तथा व्यर्थ में मुकदमा बाजी बढ़ेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असम्भव होगा, इसलिये प्रार्थी के हितो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायहित में न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है कि वो प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उन्नत उपजाऊ भूमि को दीगर व्यक्तियों को अपनी भूमि बताकर बिना तकासमा करवाये बेचान करे, जबकि प्रार्थी को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा दे। अप्रार्थीगण संख्या 4 भूमि धारक होने से एवं अप्रार्थी संख्या 5 उपपंजीयक होने से इन्हे मुकदमा हाजा में तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, न ही आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुंतकिल करे। प्रार्थी को आराजीयात से बेदखल न करे उपरोक्त कृत्य न स्वयं करे न ही अपने किसी हाली–सीरी ऐजेण्ट–सर्वेण्टस से करावे। प्रार्थी को शांति पूर्वक काबिज काश्त रहने दे। मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे इस बाबत् हुक्मनामा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को जारी फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जारी की गई पत्रावली केम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र 212 आर टी ए में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है अतः दिनांक 10.03.2015 से विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण को समय अवधि में निस्तारण करना उचित है इसलिये न्यायालय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये उक्त प्रकरण को निस्तारित करना उचित समझते है। उक्त प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में दर्ज राहिन खातेदार झूंथा व रामलाल पिता केसरलाल, जाति गुर्जर मूर्तहीन साकिन देह. को प्रार्थी ने पक्षकार कायम नही किया है इसलिये उक्त आदेश से प्रार्थी झूंथा व रामलाल प्रभावित नही है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि उक्त आराजी प्रकरण में प्रार्थी व

अप्रार्थी गण एक ही परिवार के सदस्य है प्रकरण का न्यायहित मे समय अवधि में निस्तारण करना आवश्यक है प्रकरण में राहिन खातेदार को पक्षकार कायम नही किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA अप्रार्थी पक्षकारान (रहिन खातेदारान को छोडकर) की हद तक स्वीकार किया जाकर , अप्रार्थीगण को 1 लगा0 03 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उक्त अराजी का रहन बेचान नही करे मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)